पी.ए.बी.एक्स / PABX : 26588980, 26588707, 26589336, 26589745
26589873, 26589414
फैक्स / FAX : 011-26588662, 011-26859791, 011-26589258

तार/GRAM: विज्ञानी/SCIENTIFIC
web-site : www.icmr.nic.in
E-mail : icmrhqds@sansad.nic.in

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH (MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

वी. रामलिंगस्वामी भवन,अन्सारी नगर,पोस्ट बॉक्स 4911,नई दिल्ली-110 029
V.RAMALINGASWAMI BHAWAN,ANSARI NAGAR, POST BOX-4911, NEW DELHI-110029

No.18/3/2014-Admn-II
Dated: 20.3.2014.

To,

The Directors/Director-in-Charge
of all permanent Institutes/Centers
of the Council.

Subject : Execution of Bond for availing Study Leave under Rule 53(4) of the CCS (Leave) Rules-1972-regarding-

Sir/Madam,

I am directed to send herewith a copy of OM No. 13026/4/2012-Estt.(L) dated 18th February, 2014 received from Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, New Delhi on the subject mentioned above for your information and necessary action.

Yours faithfully,

(Bharat Bhushan)
Administrative Officer
for Director General

(17)

No. 13026/4/2012-Estt.(L)
Bharat Sarkar/Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

Sr. DDG (A), ICMR OFFICE
DIARY NO. 1529
DATE: 5/3/2014

New Delhi, the 18 February, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Execution of Bond for availing Study Leave under rule 53(4) of the CCS(Leave) Rules, 1972 - regarding

The undersigned is directed to state that Government servants are allowed to avail "Study Leave" in terms of the provisions of rules 50-63 of the CCS (Leave) Rules, 1972. The provisions of rule 53(4) mandates for execution of a bond by the Government Servant who is granted such leave in the relevant format prescribed for the said purpose i.e. Forms 7-10 of the CCS (Leave) Rules, 1972.

2. The said Bond executed by the Government servant requires putting in specified period of service after expiry of the Study Leave as prescribed by provisions of rule 50(5) of the said rules.

3. It has come to the notice of this Department that the provisions of the aforesaid bond are being circumvented and officers who have availed Study Leave proceed on prolonged spells of leave due and admissible to them and thus do not put in active service for the requisite period as indicated in the bond executed by them.

4. In view of the above position, the provisions of the prescribed format of the Bond have been reviewed in consultation with the Department of Legal Affairs and it has been decided that the prescribed forms 7, 8, 9 and 10 of the CSS (Leave) Rules, 1972 may be revised by incorporating a specific clause confirming commitment of the Government servant to put in requisite active service after expiry of the Study Leave. The copies of the revised formats are enclosed herewith. The grant of Study Leave shall continue to be regulated in terms of the relevant provisions of the rules as indicated in para 1 above. Ministry of Home Affairs, etc are requested to ensure that the necessary Bond in respect of grant of Study Leave under the CCS (Leave) Rules, 1972 may henceforth be obtained in the revised formats.

5. These orders are being issued after consultation with the C&AG of India in respect of persons serving in the Indian Audit & Accounts Department.

6. Formal amendments to CCS (Leave) Rules, 1972 are being issued separately.

(Mukul Ratra)
Director (L&A)

ADG(A)
Sr AO (Pers)
AO (Ad. I)
AO
7/3
7/3
Pl. circulate to all concerned.
A.O. (A.A-II)
S/O (A-II)
10/3/14

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per the standard mailing list)

Sr DDG (A)

Dy. No 5898 A-II
11/03/2014
Kushalu
11/3/14

No. 13026/4/2012-Estt. (L) New Delhi, Dated the 12 February, 2014.

Copy forwarded to:

1. Office of the Comptroller and Auditor General of India/ Controller General of Accounts. Ministry of Finance.
2. Secretaries/ Union Public Service Commission/ Supreme Court of India/ Election Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Sectt./ Cabinet Sectt./ Central Vigilance Commission/ President's Sectt./ Vice President's Sectt./ Prime Minister's Office/ Planning Commission/ Central Information Commission.
3. Additional Secretary (Union Territory) Ministry of Home Affairs.
4. All State Governments & Union Territories.
5. Governors of all States/ Lt. Governors/ Administrators of Union Territories.
6. Secretary National Council (Staff Side), 13-C, Ferozshah Road, New Delhi.
7. All Members of Staff Side of the National Council of Departmental Council.
8. All attached/subordinate offices and desk/ section Officers of MHA including Rehabilitation Wing.
9. All Officers/ Sections of DoPT/DARPG/Deptt. of Pension & Pensioners' Welfare.
10. Department of Official Language (Legislative Department)
11. Railway Board, New Delhi
12. NIC, DoPT for uploading on the website of the Ministry.

(Mukul Ratra)
Director (L&A)

सं. 13026/4/2012-स्था.(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 53(4) के अंतर्गत अध्ययन अवकाश लेने के लिए बंधपत्र के निष्पादन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को सीसीएस (अवकाश) नियमावली के नियम 50-63 के प्रावधानों के अनुसार "अध्ययन अवकाश" का लाभ लेने की अनुमति होती है। नियम 53(4) के प्रावधान, ऐसा अवकाश प्रदान किए जाने वाले सरकारी सेवक द्वारा निर्धारित संगत प्रपत्र अर्थात सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के प्रपत्र 7-10 में एक बंधपत्र के निष्पादन का अधिदेश करते हैं।

2. सरकारी सेवक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उक्त बंधपत्र में, उक्त नियमावली के नियम 50(5) के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अध्ययन अवकाश के समाप्त होने के पश्चात सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि उल्लिखित किया जाना अपेक्षित होता है।

3. इस विभाग के संज्ञान में आया है कि उक्त बंधपत्र के प्रावधानों के अनुपालन में धोखा दिया जा रहा है तथा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अध्ययन अवकाश का लाभ लिया है वे उन्हें देय एवं स्वीकार्य अवकाश को दीर्घकालीन अवधि तक बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार अपने द्वारा बंधपत्र में इंगित किए अनुसार अपेक्षित अवधि के लिए सक्रिय सेवा नहीं करते हैं।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर बंधपत्र के निर्धारित प्रपत्र के प्रावधानों की विधि कार्य विभाग के परामर्श से समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अध्ययन अवकाश समाप्त होने के पश्चात अपेक्षित सेवा में प्रवेश करने की सरकारी सेवक की प्रतिबद्धता निश्चित करने वाले विशिष्ट खण्ड को समावेशित करते हुए सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के निर्धारित प्रपत्र 7, 8, 9 और 10 को संशोधित किया जाए। संशोधित प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में इसे उपर्युक्त पैरा 1 में इंगित संगत प्रावधानों के अनुसार अभिशासित किया जाना जारी रहेगा। अब से गृह मंत्रालय आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अध्ययन अवकाश प्रदान करने के संबंध में अवकाश बंधपत्र संशोधित प्रपत्रों में प्राप्त किया जाए।

5. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के उपरांत जारी किए जा रहे हैं।

6. सीसीएस (अवकाश) नियमावली, 1972 में विधिवत संशोधन पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं।

(मुकुल रात्रा)
निदेशक (छु. एंड भ.)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक डाक प्रेषण सूची के अनुसार)

सं. 13026/4/2012-स्था.(छु.) नई दिल्ली, दिनांक 2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय/महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय।
2. सचिव/संघ लोक सेवा आयोग/सर्वोच्च न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सूचना आयोग।
3. अपर सचिव (यू.टी.) गृह मंत्रालय।
4. सभी राज्य सरकारें एवं संघ शासित क्षेत्र ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/उप राज्यपाल/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
7. विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य।
8. पुनर्वास शाखा सहित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं डेस्क/अनुभाग अधिकारी।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत/पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
10. राजभाषा खंड (विधायी विभाग)
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
12. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय की बेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(मुकुल रात्रा)
निदेशक (छु. एंड भ.)

FORM 7
[See Rule 53 (4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I, ... resident of .... in the District of .... at present employed as .... in the Ministry/Office of .... do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs. .... (Rs.........................only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS I, ... am granted study leave by Government.

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty, I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs ....(Rupees...................... only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, afte expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.

AND upon my making such payment, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts of India.

Signed and dated this .... day of .... two thousand and ....

Signed and delivered by.................
....
In the presence of ....
Witnesses: 1. ....
2. ....

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of
India

Explanation : The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 8
[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT I,.................................. resident of .... in the District of.................................. at present employed as .... in the Ministry /Office of .... do hereby bind myself and my heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs.............................. (Rupees.................................only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS I, ... was granted study leave by Government for the period ....to.................in consideration of which I executed a Bond, dated .... for Rs.....................(Rupees........ ....only) in favour of the President of India.

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to me at my request until.....................

AND WHEREAS for the better protection of the Government I have agreed to execute this Bond with such conditions as hereunder are written.

NOW, THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of my failing to resume duty, or resigning or retiring from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after my return to duty I shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government on demand the said sum of Rs.............. (Rupees...................only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of my bond mandating putting in service for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by me, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by me, during the currency of the bond period.

AND upon my making such payments, the above written obligations shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and dated this.............. day of .... two thousand and...................

Signed and delivered by.......................
....

In the presence of..................................
Witnesses: 1...
2...

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation: The 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 9

[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN PROCEEDING ON STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, ……………… residents of……….. in the District of…… … at present employed as…………. in the Ministry/Office of……………… (hereinafter called "the Obligor") and Shri/Shrimati/Kumari……………… son/daughter of ………… and Shri/Shrimati/Kumari………… son/daughter of………. of……… and Shri/Shrimati/Kumari………… son/daughter of………. of……… (hereinafter called "the Sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs………………(Rupees………………only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country, converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government..

WHEREAS the Obligor is granted study leave by the Government:

AND WHEREAS for the better protection of the Government, the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written:

AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties on behalf of the above bounden……………………………………

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/ Kumari …………………..failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after his return to duty, the Obligor and the Sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs………… … (Rupees……………………only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her during the currency of the bond period.

AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari……………………….. and or Shri/Shrimati/Kumari…………………… and. or Shri/Shrimati/ Kumari…………………….. the Sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force by virtue:

PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/ Kumari……………………………… and Shri/Shrimati/ Kumari……………… ………or any of them for amounts due hereunder.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and dated this………………day of……………………two thousand and ……………………………………………………………

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

……………………………………………………

In the presence of ……………………

Witnesses: 1. ……………………

2. ……………………

Signed and dated the .... day of .... two thousand and ....

Signed and delivered by the Obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari
....

In the presence of ....
Witnesses: 1 ....

2..

Signed and delivered by the Obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari
....

In the presence of ....

Witnesses: 1 ....

2..

Signed and delivered by the Obligor
above named Shri/Shrimati/Kumari
....

In the presence of ....

Witnesses: 1 ....

2..

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the liability of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amounts from the Government servant who fails to discharge his obligation.

FORM 10

[See Rule 53(4)]

BOND TO BE EXECUTED BY A GOVERNMENT SERVANT NOT IN PERMANENT EMPLOY, WHEN GRANTED EXTENSION OF STUDY LEAVE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT WE, ……………… residents of……….. in the District of………. at present employed as…………. in the Ministry/Office of……………… (hereinafter called "the Obligor") and Shri/Shrimati/Kumari…………… son/daughter of ………… of………………… and Shri/Shrimati/Kumari……….. son/daughter of……… of……… (hereinafter called "the Sureties") do hereby jointly and severally bind ourselves and our respective heirs, executors and administrators to pay to the President of India (hereinafter called "the Government") on demand the sum of Rs………………(Rupees………… ….only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans or, if payment is made in a country other than India, the equivalent of the said amount in the currency of that country, converted at the official rate of exchange between that country and India AND TOGETHER with all costs between attorney and client and all charges and expenses that shall or may have been incurred by the Government.

WHEREAS the Obligor was granted study leave by the Government from the period from ……… to .. ………. in consideration of which he executed a Bond, dated ……., for Rs……… (Rupees……… ………. …. only) in favour of the President of India;

AND WHEREAS the extension of study leave has been granted to the Obligor at his request until ……..

AND WHEREAS for the better protection of the Government the Obligor has agreed to execute this Bond with such condition as hereunder is written;

AND WHEREAS the said Sureties have agreed to execute this Bond as Sureties on behalf of the above bounden ……….

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATION IS THAT in the event of the Obligor Shri/Shrimati/Kumari …………………… failing to resume duty, or resigning from service or otherwise quitting service without returning to duty after the expiry or termination of the period of study leave so extended or failing to complete the course of study or at any time within a period of three years/five years after his return to duty, the Obligor and the Sureties shall forthwith pay to the Government or as may be directed by the Government, on demand the said sum of Rs………. (Rupees ………………………… only) together with interest thereon from the date of demand at Government rates for the time being in force on Government loans.

NOW FURTHER THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN OBLIGATIONS IS THAT the period of bond, mandating putting in service by the Obligor for the period as specified above, after expiry of the study leave availed by him or her, shall be extended by a comparable period, equivalent to the aggregate periods of leave of any kind availed by him or her, during the currency of the bond period.

AND upon the Obligor Shri/Shrimati/Kumari ………………… … and, or Shri/Shrimati/Kumari …………… and, or Shri/Shrimati/Kumari ………………. the Sureties aforesaid making such payment the above written obligation shall be void and of no effect, otherwise it shall be and remain in full force and virtue:

PROVIDED ALWAYS that the liability of the Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted or by any forbearance, act or omission of the Government or any person authorized by them (whether with or without the consent or knowledge of the Sureties) nor shall it be necessary, for the Government to sue the Obligor before suing the Sureties Shri/Shrimati/Kumari ……… … ………. .. and Shri/Shrimati/Kumari ………… or any of them for amounts due hereunder.

The Bond shall in all respects be governed by the laws of India for the time being in force and the rights and liabilities hereunder shall where necessary be accordingly determined by the appropriate Courts in India.

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

....

in the presence of ....

Witnesses: 1. ....

2. ....

Signed and delivered by the Obligor

Above named Shri/Shrimati/ Kumari

....

in the presence of ....

Witnesses: 1. ....

2. ....

ACCEPTED
for and on behalf of the
President of India

Explanation: The term 'currency of bond' means the period during which the bondage of the Government servant is activated and the right of the Government is alive to claim the predetermined and stipulated amount from the Government servant who fails to discharge his obligation.

फॉर्म-7

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि मैं.......................................निवासी.......................... जिला......................... वर्तमान में...........................मंत्रालय/कार्यालय में..... ....के रूप में कार्यरत हूं, एतद्द्वारा स्वयं की एवं अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से यह वचन देता हूं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.......................रु. (..................रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा ।

चूंकि मुझे.. सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है।

और चूंकि, सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, मैंने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

अब, उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं की शर्तें यह हैं कि, मेरे द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा अध्ययन अवकाश की अवधि के पूर्ण हो जाने या समाप्त किए जाने के पश्चात ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में अथवा ड्यूटी पर मेरे वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, मैं सरकार को अथवा सरकार द्वारा निर्देशित किए अनुसार, उक्त रु...........................(....................रु. केवल) की राशि की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित का तत्काल भुगतान करूंगा ।

अब, इसकी उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं के लिए पुनः यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बाध्यकारी रूप से लाने की मेरे बंधपत्र की अवधि को मेरे द्वारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्तलिखित बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत के उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी।

दो हजार........................के..............................के..........................दिन को

....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

................................की उपस्थिति में

गवाह : 1...

2...

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं अविरत रहे थे और उनकी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है।

फार्म-8

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूं कि मैं...................................निवासी...................... जिला.......................वर्तमान में.........................मंत्रालय/कार्यालय में..........................के रूप में कार्यरत हूँ, एतद्द्वारा स्वयं की एवं अपने वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से यह वचन देता हूँ कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर......................रु. (..................रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूगा ।

चूंकि मुझे.................................... सरकार द्वारा यह ध्यान में रखते हुए कि, मेरे द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति दिनांक............... को रु.....................(.......................रु केवल) का बंधपत्र निष्पादित किया गया है, ...से..............तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया था।

और चूंकि, मुझ को अनुरोध पर.....................तक के लिए अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान किया गया है।

और चूंकि, सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, मैंने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

अब, उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि, मेरे द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा अध्ययन अवकाश की अवधि के पूर्ण हो जाने या समाप्त किए जाने के पश्चात ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने अथवा अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में अथवा ड्यूटी पर मेरे वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, मैं सरकार को अथवा सरकार द्वारा निर्देशित किए अनुसार, उक्त रु...........................(.....................रु. केवल) की राशि की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित का तत्काल भुगतान करूंगा ।

अब, इसकी उपर्युक्तलिखित बाध्यताओं के लिए पुनः यह शर्त है कि ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बाध्यकारी रूप से भाग के मेरे बंधपत्र की अवधि को मेरे द्वारा लिए गए अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान मेरे द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और मेरे द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार........................ के .... के .... दिन को

....

द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

.... की उपस्थिति में

गवाह : 1...

2...

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बांड' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थीं और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।

-/5-

फार्म-9

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश पर जाते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं/हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हम...............................निवासी........................ जिला.........................वर्तमान में.........................मंत्रालय/कार्यालय में.........................के रूप में कार्यरत (जिन्हें इसके बाद "बाध्यताधारी" कहा जाएगा) और श्री/श्रीमती/कुमारी...................... पुत्र/पुत्री.....................और श्री/श्रीमती/कुमारी........................ पुत्र/पुत्री.........................और श्री/श्रीमती/कुमारी.......................पुत्र/पुत्री............. ....(जिन्हें इसके बाद "जमानती" कहा जाएगा) एतद्द्वारा अपनी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से यह वचन देता हूं/देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर......................रु. (..................रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा/करेंगे ।

सरकार द्वारा बाध्यताधारी को अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने की अवस्था मे :

और जबकि सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, बाध्यताधारी ने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

जबकि उक्त जमानतियों द्वारा उपर्युक्त बाध्यताकारियों........................... की ओर से जमानतियों के रूप में इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है ।

अब, उपर्युक्त लिखित बाध्यताओं की शर्तें यह है कि, बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी........................ द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या कार्यअवधि पूर्ण होने के पश्चात ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने या अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने कि स्थिति में या उसके ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, बाध्याताधारी और जमानती सरकार को मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित उक्त रु.............................(...................रु. केवल) की राशि का तत्काल भुगतान करेंगे ।

इसके अलावा ऊपर लिखित बाध्यताओं के लिए पुनः शर्त है कि बंधपत्र की अवधि का, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अवधि के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तुलनात्मक अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी...... ....और अथवा उपर्युक्त जमानती श्री/श्रीमती/कुमारी.......................और अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी.......................द्वारा इस राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

सर्वदा बशर्ते कि इसके अधीन जमानतियों की देयताएं, समयावधि प्रदान करने या किसी अन्य सहिष्णुता द्वारा या सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन्यथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवश्यक नहीं होगा कि जमानतियों श्री/श्रीमती/कुमारी.................... .. और श्री/श्रीमती/कुमारी.......................या उनमें से किसी एक पर इसके अधीन राशि हेतु अभियोग चलाने से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया जाए ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार.........................के...............................के........................दिन को

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.......................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

..................................की उपस्थिति में

गवाह : 1 ....

2...

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.......................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

..................................की उपस्थिति में

गवाह : 1...

2...

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी.......................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

...............................की उपस्थिति में

गवाह : 1...

2...

स्वीकृत

भारत के राष्ट्रपति के लिए

और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'करेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थी और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।

फॉर्म-10

[नियम 53(4) देखें]

अध्ययन अवकाश का विस्तार प्रदान करते समय किसी सरकारी सेवक, जो स्थायी कर्मचारी नहीं है, द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र

मैं/हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हम.......................................निवासी........................ जिला..........................वर्तमान में..........................मंत्रालय/कार्यालय में...........................के रूप में कार्यरत (जिन्हें इसके बाद "बाध्यताधारी" कहा जाएगा) और श्री/श्रीमती/कुमारी............................ पुत्र/पुत्री....................................और श्री/श्रीमती/कुमार................................. पुत्र/पुत्री.................................... (जिन्हें इसके बाद "जमानती" कहा जाएगा) एतद्द्वारा अपनी/हमारी ओर से एवं मेरे/हमारे वारिसों, विधिक प्रतिनिधियों, निष्पादकों और प्रशासकों की ओर से संयुक्त रूप से और पृथक रूप से यह वचन देता हूं/देते हैं कि भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'सरकार' कहा जाएगा) को मांग पर.......................रु. (..................रु. केवल) की राशि का सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से अब तक के ब्याज सहित या यदि भुगतान भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया गया है तो उक्त राशि का उस देश और भारत के बीच के शासकीय विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित मुद्रा में, सरकार द्वारा वहन किए गए अथवा किए जाने वाले वकील एवं मुवक्किल के बीच की सभी लागतों सहित एक साथ अदा करूंगा/करेंगे ।

सरकार द्वारा बाध्यताधारी को..................से..............तक अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया इसको ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति दिनांक..............का रु......................(.......................रु. केवल) का बंधपत्र निष्पादित किया गया ।

और जबकि बाध्यताधारी के अध्ययन अवकाश को उसके अनुरोध पर.....................तक के लिए बढ़ाया गया ।

और जबकि सरकार की बेहतर सुरक्षा हेतु, बाध्यताधारी ने इस शर्त पर जैसा कि नीचे लिखा गया है इस बंधपत्र को निष्पादित करने की सहमति दी है :

जबकि उक्त जमानतियों द्वारा उपर्युक्त बाध्यताकारियों........................... की ओर से जमानतियों के रूप में इस बंधपत्र पर हस्ताक्षर करने की सहमति दी है ।

अब, उपर्युक्त लिखित बाध्यताओं की शर्त यह है कि, बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी...................... द्वारा कार्यभार न संभालने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने या कार्यअवधि पूर्ण होने के पश्चात ड्यूटी पर वापस न आते हुए सेवा छोड़ने या अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा न करने की स्थिति में या उसके ड्यूटी पर वापस आने के बाद तीन वर्षों/पांच वर्षों की अवधि के दौरान किसी भी समय, बाध्यताधारी और जमानती सरकार की मांग पर सरकारी ऋणों पर लागू तत्कालीन सरकारी दरों पर मांग की तारीख से ब्याज सहित उक्त रु............................(......................रु. केवल) की राशि का तत्काल भुगतान करेंगे ।

इसके अलावा ऊपर लिखित बाध्यताओं के लिए पुनः शर्त है कि बंधपत्र की अवधि का, ऊपर निर्दिष्ट अवधि के लिए बाध्यताधारी की अनिवार्य सेवा अवधि के अलावा, उसके द्वारा ली गई अध्ययन छुट्टी की समाप्ति के बाद बंधपत्र की अवधि के दौरान उसके द्वारा ली गई किसी भी प्रकार की छुट्टी की कुल अवधि के समान तत्संबंधी अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया जाएगा ।

और बाध्यताधारी श्री/श्रीमती/कुमारी......................और अथवा उपर्युक्त जमानती श्री/श्रीमती/कुमारी........................और अथवा श्री/श्रीमती/कुमारी........................द्वारा उक्त राशि का भुगतान किए जाने पर उपर्युक्त बाध्यता समाप्त और निष्प्रभावी हो जाएगी, अन्यथा यह पूरी तरह से लागू एवं प्रभावी रहेगी ।

बशर्ते सदैव कि इसके अधीन जमानतियों की देयताएं, समयावधि प्रदान करने या किसी अन्य सहिष्णुता द्वारा या सरकार अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (चाहे जमानतियों की सहमति या ज्ञान से हो या अन्यथा) द्वारा छोड़ देने के कारण क्षीण या निष्पादित नहीं होगी, यह भी आवश्यक नहीं होगा कि जमानतियों श्री/श्रीमती/कुमारी........................ और श्री/श्रीमती/कुमारी........................या उनमें से किसी एक पर इसके अधीन राशि हेतु अभियोग चलाने से पहले बाध्यताधारी पर अभियोग चलाया जाए ।

यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत के तत्कालीन प्रभावी नियमों द्वारा शासित होगा और इसके अधीन सभी अधिकार एवं बाध्यताएं, जहां भी अपेक्षित हो, भारत में उचित न्यायालयों द्वारा तदनुसार निर्धारित की जाएंगी ।

दो हजार........................ के............................... के........................... दिन को

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी........................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

....की उपस्थिति में
गवाह : 1..
2..

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी........................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

....की उपस्थिति में
गवाह : 1..
2..

उपर्युक्त श्री/श्रीमती/कुमारी........................
द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

....की उपस्थिति में
गवाह : 1..
2..

स्वीकृत
भारत के राष्ट्रपति के लिए
और की तरफ से

स्पष्टीकरण: 'कंटेन्सी ऑफ बंधपत्र' शब्द का आशय है उस अवधि के दौरान जिसमें सरकारी सेवक की बाध्यताएं सक्रिय की गई थीं और अपनी बाध्यता का निष्पादन करने में असफल होने वाले सरकारी सेवक से पूर्व निर्धारित राशि का दावा करने का सरकार का अधिकार प्रभावी है ।